राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (वी–46/94)/अलेसे–II/603 दिनांक :– 19/11/20

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश सं. 143/2018–19 दिनांक 09.03.2019 द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II का स्थानान्तरण कार्यालय कोषालय, जालौर से कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जालौर किया गया। निदेशालय के अन्य आदेश (शुद्धि पत्र) क्रमांक 199 दिनांक 26.06.2019 के द्वारा पूर्व में जारी आदेश संख्या 143/18–19 दिनांक 09.03.2019 को निरस्त कर दिया गया लेकिन श्री वीरेन्द्र सिंह सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से उपरोक्त शुद्धि पत्र आदेश कमांक 199 दिनांक 26.06.2019 पर स्थगन प्राप्त कर लिया। श्री वीरेन्द्र सिंह ने उक्त स्थगन आदेश की अनुपालना में दिनांक 4.10.2019 को कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग, जालौर में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की।

अन्य कार्मिक श्री कुन्दनमल सुथार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– II ने आदेश कमांक 199 दिनांक 26.06.2019 की अनुपालना में अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जालौर में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की। अधिशाषी अभियंता, स्वास्थ्य विभाग, जालौर द्वारा उनके कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– II का एक ही पद स्वीकृत होने के कारण उक्त पद पर कार्यरत कार्मिक श्री कुन्दनमल सुथार सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को दिनांक 27.06.2019 से वेतन भत्तों का भुगतान किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप कार्मिक श्री वीरेन्द्र सिंह को उक्त कार्यालय से वेतन भत्तों को भुगतान नहीं किया जा सका है।

निदेशालय के आदेश क्रमांक 29–32 दिनांक 21.05.2020 के अनुसरण में कार्मिक श्री वीरेन्द्र सिंह को दिनांक 01.07.2019 से दिनांक 30.04.2020 तक का वेतन भुगतान कार्यालय कोषाधिकारी, नागौर से किया जा चुका है। विभागीय आदेश 97/2020–21 दिनांक 08.07.2020 द्वारा श्री सिंह का पद स्थापन जिला कलक्टर (सहायता) जालौर कियाा गया। जहाँ श्री सिंह ने दिनांक 14.07.2020 को कार्यग्रहण किया।

अतः कार्मिक श्री वीरेन्द्र सिंह, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय को दिनांक 01.05.2020 से दिनांक 13.07.2020 तक की अवधि तक का वेतन भत्तों को भुगतान, दिनांक 01.07.2020 की नियमित वेतन वृद्धि, दिनांक 27.06.2019 से 30.06.2019 तक के वेतन भुगतान की स्वीकृति, समर्पित अवकाश 2019–20 (दिनांक 13.03.2020) 15 दिवस के समर्पित अवकाश के एवज में नकद भुगतान, बोनस 2018–19 (अक्टुबर 2019 में राज्य सरकार द्वारा 2018–19 का घोषित बोनस) एवं प्रतिनुियक्ति भत्ता दिनांक 01.07.2019 से 13.07.2020 तक (अधिशाषी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में प्रतिनियुक्ति अवधि का प्रतिनियुक्ति भत्ता) कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) जालौर से सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के रिक्त पद के विरूद्ध आहरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (वी–46/94)/अलेसे–II/603 दिनांक :– 19/11/20

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला कलक्टर (सहायता), जालौर।
2. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड/ पीआईएस में इन्द्राज करने हेतु।
3. श्री विरेन्द्र सिंह, सलेअ–II कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), जालौर।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)